स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
(एस.जी.एस.वाई)

परिचय

भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रेल, 1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.आई) आरम्भ कीक गई हैं। पूर्व में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम /योजनाएं यथा–एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आऱ.डी.पी.) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्रायसम) योजना, ग्रामीण दस्कतकारों को उन्नत औजार–किट आपूर्ति (सिट्रा) योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा), गंगा कल्याण योजना (जी.के.वाई.) दिनांक 1.4.1999 से अस्तित्व में नही हैं। और इन सभी 6 योजनाओं के स्थान पर 14.1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एक सर्वागीण कार्यक्रम के रूप में स्वरोजगार के सभी पहलुओं को सम्मिलित करती हैं। इसके अन्तर्गत चयनित मुख्य गतिविधियों के क्लस्टर बनाने, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सहायता समूहों के यप में संगठित करने, व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन करने, उनकी क्षमता विकसित करने के साथ ही प्रशिक्षण, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, साख एवं विपणन के क्षेत्रों को विकसित किये जाने का प्रावधान हैं।

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचरे (बी.पी.एल) जीवनयापन कर रहे चयनित परिवारों को साख व अनुदान द्वारा आय – वृद्वि करने वाली परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना हैं।

मुख्य बिन्दु

- यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 75.25 के अनुपात में राशि उपलब्ध करायी जाती हैं।
- वर्ष 1997–98 में कराये गये बी.पी.एल. सर्वे (बी.पी.एल. सेन्सस, 97) के अनुसार चयनित 20.97 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे। इन्ही परिवारों में से योजनानतर्गत लाभान्वित किया जा रहा हैं।
- लाभान्वितों में 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।
- लाभान्वित लोगों में 40 प्रतिशत महिलाऐ होनी चाहिए।
- लाभान्वितों में 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग होने चाहिए।
- सामान्य वर्गो हेतु 30 प्रतिशत व अजा/अजजा के लिए 50 प्रतिशत की समान दर पर अनुदान देय हैं। सामान्य वर्ग हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा 7500/– रू. व अजा/अजजा के लिए 10,000/– रू. हैं।
- स्वयं सहायता समूहों हेतु अनुदान की सीमा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अथवा प्रति बी.पी.एल. सदस्य 10,000/– रूपये अथवा रूपये 1.25 लाख, जो भी न्यूनतम हो अनुदान देय हैं। लघु सिंचाइ परियोजना हेतु अनुदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं।
- योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर पर समन्वय, योजना की समीक्षा तथा ऋण वसूली की समीक्षा हेतु विकास खण्ड, जिला व राज्य स्तरीय स्वर्णजयंती ग्राम

स्वरोजगार योजना समिति तथा केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया हैं।

- एस.जी.एस.वाई. योजना के प्रत्येक विकास खण्ड हेतु मुख्य गतिविधियों का चयन किया जाकर उन्हें सघन रूप से क्रियान्वित किये जाने का प्रावधान हैं। विकास खण्ड स्तरीय समिति में विकास अधिकारी, बैंक ब्रांच मैनेजर व तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। वे स्थानीय संसाधनों व निवासियों की क्षमता व कौशल के आधार पर सरपंचो व स्थानीय ग्रामीणों के समूहों से विचार– विमश्र के उपरांत 10 मुख्य गतिविधियों का चयन कर उन्हें सूचीबद्ध करते हैं। इसके पश्चात् इस सूची को पंचायत समिति की जनरल बॉडी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं। चयनित मुख्य गतिविधियों को सूची तथा पंचायत समिति की सिफारिश को विकास अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय एस.जी.एस.वाई. समिति को प्रेषित किया जाता हैं। जिला स्तरीय समिति मुख्य गतिविधियों का अनुमोदन कर प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 4–5 मुख्य गतिविधियों का अन्तिम चयन करती हैं। जिला स्तरीय स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति को नवीन मुख्य गतिविधि का चयन तथा पूर्व में चयनित गतिविधि को हटाने का अधिकार होता हैं।
- इस योजनान्तर्गत व्यक्तिगत रूप से व स्वयं सहायता समूहों में व्यक्तियों को लाभन्वित किया जाता हैं। स्वरोजगारी के चिन्हीकरण का काय्र विकास अधिकारी (या उनका प्रतिनिधि), बैंक अधिकारी व सरपंच की एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता हैं।
- अनुदान अन्तिम चरण सहायिकी (बैंक एण्ड सब्सिडी) प्रणाली के रूप में देय हैं।
- स्वयं सहायता समूहों में 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। लधु सिंचाई परियोजनाओं एवं विकलांगो के समूहो में न्यूनतम सदस्य संख्या 5 से 20 हो सकती हैं सामान्यतः समूहो में सभी सदस्य बी.पी.एल. परिवारों के होने चाहिये फिर भी अधिकतम 20 प्रतिशत एवं विशेष / पिषम परिस्थितियों में अधिकतम 30 प्रतिशत सदस्य ए पीएल हो सकते हैं। परन्तु वे बी.पी.एल. परिवारों के साथ रहते हों तथा समूहो के समस्त बी.पी.एल. परिवारों को उन्हें सदस्य बनाया जाना स्वीकार हो ।
- प्रत्येक विकास खण्ड में बनाये जाने वाले कुल स्वयं सहायता समूहो में से 50 प्रतिशत समूहो केवल महिलाओं के होने चाहिए। एक समूह में एक परिवार का एक ही सदस्य सम्मिलित किया जाता हैं। तथा कोई भी सदस्य एक से अधिक समूह में सदस्य नहीं बनाया जा सकता हैं।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपनी नियमित बचत से समूह के कॉर्पस फन्उ को विकसित करेंगे जिसका उपयोग वे अग्रिम ऋण के रूप में कर सकेंगे। छः माह तक सफलतापूर्वक संचालन करने पर स्वयं सहायता समूहो को अनुदान के रूप में रूपये 20000/– एवं ऋण के रूप में बैंकों से स्वयं के फन्उ के चार गुना तक का रिवॉल्विंग फन्ड उपलब्ध कराया जाता हैं।
- समूहो के गठन व विकास हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं /फेसीलीटेटर्स का सहयोग लिया जा सकता हैं। इस हेतु रूपये 10,000 प्रति स्वयं सहायता समूह 4 किश्तों में 3–4 वर्ष की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था /फेसीलीटेटर को भुगतान किया जा सकता हैं।

- योजनान्तर्गत प्राप्त राशि जिला परिषदों द्वारा 4 मदो में – प्रशिक्षत, अवसंरचना, स्वयं सहायता समूहों को रिवॅाल्विंग फण्ड एवं आर्थिक गतिविधियों के लिये अनुदान हेतु व्यय की जाती हैं।
- अवसंरचना का निर्धारण चयनित मुख्य गतिविधि व परियोजना प्रतिवेदन मे ंउपलब्ध स्थानीय अवसंरचना व अतिरिक्त आवश्यकता अवसंरचना का अभिज्ञान कर किया जा सकता हैं। अभिकरण द्वारा अवसंरचना विकास हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति जिला स्तरीय स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति के स्तर पर की जाती हैं।
- योजनान्तर्गत कुल आंवटन की 20 प्रतिशत राशि अवसंरचना मद पर व्यय किये जाने का प्रावधान हैं।
- स्वयं सहायता समूहो की निचमित रूप से साप्ताहिक या पाक्षिक बैठकें आयोजित कर समूह द्वारा बैठक का कार्यवाही विवरण, उपस्थिति पंजिका, लेखों का अभिलेख, कैशबुक, पासबुक आदि का संधारण किया जाता हैं।
- बैंक में ऋण लेने हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर स्वीकृति जारी की जाती हैं। तथा ऋण स्वीकृति की सूची ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी व सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जाती हैं। स्वरोजगारी द्वारा प्राप्ति के एक माह में परिसम्पत्ति का क्रय किया जाकर रसीद बैंक को प्रेषित करनी होती हैं।
- स्वरोजगारी द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति का चिन्हीकरण कर बीमा कम्पनी द्वारा बीमा की सुविधा भी दी जाती हैं। जिसके प्रीमियम का खर्चा सरकार, बैंक व लाभाथ्री द्वारा वहन किया जाता हैं।
- प्रत्येक विकास खण्ड के लिए चयनित मुख्य गतिविधियों के लिए परियोजना प्रतिवेदन बनाये जाने का प्रावधान हैं। जिला स्तरीय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से प्रत्येक मुख्य गतिविधि के लिए (प्रबन्धकीय व तकनीकी) न्यूनतम कौशल आवश्यकता (एम.एस.आर) निर्धारित की जाती हैं। स्वरोजगारी जिनके पास पर्यापत एम.एस.आर. होती हैं। उन्हे उनके निवास स्थान के निकट ही श्र्ण स्वीकृति के पश्चात भुगतान के पूव्र दो दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता हैं। जिसके लिए कोई वृत्तिका देय नहीं हैं। वे स्वरोजगारी जिनके पास एम.एस.आर. नहीं हैं। उन्हें पॉलीटेक्निक, आई टी. आई. व अन्य तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता हैं। प्रशिक्षण यदि एक सप्ताह से अधिक अवधि का हो तो बैंक के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता करायी जाती हैं।
- मुख्य गतिविधियों हेतु प्रौद्योगिकी के आदान – प्रदान के लिए अभियांत्रिकी महाविद्यालयों पॉलीटेक्निक, सामुदायिक पॉलीटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्रो स्वयंसेवी संस्थाओं तथा कृषि महाविद्यालयों आदि से सहायता ली जा सकती हैं। प्रौद्योगिकी प्रबन्ध के लिए व्यय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण मद से किया जाता हैं।
- प्रत्येक मुख्य गतिविधि के परियोजना प्रतिवेदन में विपणन की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान हैं। उत्पादों के विपणन हेतु मेले व सेल काउंटर की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित हैं। तथा जिले से बाहर विपणन हेतु राजकीय व गैर–राजकीय तथा निजी

संस्थाओं की सहायता ली जा सकती हैं ये संस्थाऐं देशी व विदेशी बाजारों में विपणन के प्रयास करेंगी।

- योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष रूपये 5.00 लाख विपणन अनुसंधान, प्रोडक्ट के डायवर्सिफिकेशन एवं गुणवत्ता में सुधान हेतु अध्ययन के लिये व्यय किया जा सकता हैं।
- योजना का क्रियान्वयन पंचायत समितियों के माध्यम से जिला परिषद द्वारा किया जाता हैं। इसमें पंचायती – राज संस्थाओं, बैंकों एवं अन्य संबंधित विभागों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी रहती हैं।
- योजनान्तर्गत ऋण वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता हैं।
- योजनान्तर्गत विशेष परियोजनाओं हेतु कुल आवंटन की 15 प्रतिशत राशि भारत सरकार के पास आरक्षित हैं। जिले में उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकता के आधार पर जिला परिषदो द्वारा विशेष परियोजनाऐं तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जाती हैं। इन विशेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी राशि 75:25 के अनुपात पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
- योजना में परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन, निरिक्षण शिड्यूल का प्रावधान भी किया गया हैं।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
(एस.जी.आर.वाई)

परिचय

- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 15 अगस्त, 2001 को कीक गई थी। योजनान्तर्गत 5000 करोड़ नकद अंश तथा 5000 करोड़ रूपये के खाद्यान्न (50 लाख मैं0 टन) के प्रावधान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने एवं खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से योजना की घोषणा की गई थीं भारत सरकार के निर्देशानुसार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का भाग मानते हुए क्रियान्विति की गई। 01.04.2002 तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का भाग मानते हुए क्रियान्विति की गई। 01.04. 2002 से सम्पूर्ण रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से लागू की गई हैं।

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना व खाद्य सुरक्षा के साथ –साथ स्थायी स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियां, सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों का सृजन तथा भौतिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना हैं।

मुख्य विन्दु

- योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में राशि वहन की जाती हैं।
- मजदूरी के आंशिक भुगतान के लिये भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न के रूप में गेहूॅ निःशुल्क राज्य को उपलब्ध कराया जाता हैं। गेहूॅ को भरतीय खाद्य निगम के

गोदाम से उठा कर मजदूरों को वितरण की व्यवस्था में परिवहन, हैन्डलिंग एवं कमीशन इत्यादि का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं।

- योजना की 50 प्रतिशत राशि प्रथम धारा के लिये निर्धारित हैं जिसमे से 40 प्रतिशत राशि जिला परिषद तथा 60 प्रतिशत राशि जिले की पंचायत समितिजयों को योजना के प्रावधान अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।
- योजना की शेष 50 प्रतिशत राशि द्वितीय धारा के लिये निर्धारित हैं, जो शत प्रतिशत ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाती हैं।
- पंयायती राज के तीनों स्तरों पर प्रतिवर्ष पृथक – पृथक वार्षिक कार्य योजना बनाये जाने का प्रावधान हैं। जिला परिषद स्तर की वार्षिक काग्र योजना जिला परिषद द्वारा तथा पंचायत समिति स्तर की वार्षिक कार्य योजना पंचायत समिति द्वारा तैयार करने का प्रावधान हैं। ग्राम पंचायत स्तर की वार्षिक काग्र योजना पंचायत समिति द्वारा तैयार करने का प्रावधान हैं। ग्राम पंचायत स्तर की वार्षिक कार्य योजना ग्राम सभा से अनुमोदित कराये जाने का प्रावधान हैं।
- कार्यो का क्रियान्वयन राजकीय विभागों, निगमो एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता हैं। ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध हैं।
- योजना के कार्यो पर उन सभी ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता हैं ंजो शरीरिक दृष्टि से सक्षम एवं अकुशल हैं।
- योजनान्तर्गत कृषि मजदूरों, गैर कृषि के अकुशल मजदूरों, सीमान्त कृषकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती हैं।
- रोजगार अवसरों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।
- योजनानतर्गत कार्यों पर मस्टररोल से ही मजदूर नियोजित करने का प्रावधान हैं। मजदूरी का साप्ताहिक आधार पर भुगतान किये जाने का प्रावधान हैं।
- प्रथम धार के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को उपलब्ध होने वाली राशि में से 22ण्5 प्रतिशत राशि बी.पी.एल. चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये उपयोग में लिये जाने का प्रावधान हैं।
- द्वितीय धारा के अन्तर्गतम ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति /जनजाति की बस्तियों /इलाकों मे आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्यो के लिये व्यय किये जाने का प्रावधान हैं।
- मजदूरी के आंशिक भुगतान हेतु अधिकतम 10 किलोग्राम गेहूॅं प्रति श्रमिक को बी.पी.एल. दर पर रूपये 4.60 प्रति किलोग्राम से दिये जाने का प्रावधान है किन्तु मजदूरी का कम से कम 25 प्रतिशत भाग नकद राशि के रूप में दिया जाना अनिवार्य हैं।
- जिला परिषद सभी प्रकार के पर्यवेक्षण एवं समन्वय के लिये उत्तरदायी हैं।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

प्रथम धारा एवं द्वितीय धारा के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करने तथा कार्यो को शुरू करते समय निम्न प्रकार के कार्यो को प्राथमिकता से लिये जाने का प्रावधान हैं।

प्रथम धारा

- भूमि एवं नमी संरक्षण के कार्य

- लघु सिंचाई, पेयजल स्त्रोतों के पुनरूद्धार एवं भू–जल वृद्धि के कार्य
- परम्परागत जल संग्रहण ढ़ांचों, गॉव के तालाब एवं जोहड में जमी मिट्ठी निकालने के कार्य
- ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण एवं खेतों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण
- नालियों का निर्माण एवं वन रोपण
- विद्यालय भवन, विद्यालय हेतु रसोई घर शैड, औषधालय, सामुदायिक केन्द्र, पंचायत भवन एवं बाजारों के विकास जैसी स्थाई, सामाजिक एवं आर्थि परिसम्पत्तियों का सृजन

द्वितीय धारा

- एस.जी.एस.वाई. योजना के लिये ढ़ांचागत सहायता
- कृषि कार्यो के लिये आधारभूत ढ़ांचा निर्माण
- शिक्षा स्वास्थ्य एवं आन्तरिक तथा सम्पक्र सड़कों हेतु सामुदायिक आधारभूत ढांचा निर्माण
- अन्य सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत ढांचा निर्माण
- परम्परागत तालाब एवं जोहड़ में जमी मिट्टी निकालना एवं पुनरूद्धार के कार्य

योजनान्तर्गत दोनों धाराओं में निम्न प्रकार के कार्यो की अनुमति नहीं हैं।

- धार्मिक उद्देश्य के लिये भवन
- बड़े भवन एवं बड़े पुल
- उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं कालेजों के भवन
- स्मारक, मूर्तियां, स्वागत द्वार, स्मृति चिन्ह इत्यादि
- सड़कों का डामरीकरण

इन्दिरा आवास योजना
(आई.ए.वाई)

परिचय

मानाव जीवन – यापन के लिये आवास महत्वपूर्ण हैं। आवास के अभाव में किसी भी गांव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। विकास के लिये आवास की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए एवं ग्रामीण गरीब लोंगो के लिए अच्छे एवं उन्नत किस्म के मकानों की आवश्यकता को महसूस करते हुए नकी आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मई, 1985 में इन्दिरा आवास योजना शुरू की गई थी। यह योजना, जो जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी, जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं।

उद्देश्य

- कार्यक्रम का प्रमुख उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों में निर्धनतम लोगों को रिहायशी मकानों हेतु अनुदार उपलब्ध कराना हैं। लाभार्थी वे हैं जो वेघर हैं या उन्हें आश्रय की आवश्यकता हैं। या उनके आश्रय को बेहतर बनाने की जरूरत हैं और जो किसी अन्य पुनर्वास योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

मुख्य बिन्दु

- यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं, जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाती हैं।
- 1993–94 तक गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बंधुआ मजदूरों को ही आवास उपलब्ध करवाए जा रहें थें।
- वर्ष 1994–95 से यह सुविधा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य परिवारों को भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- वर्ष 1999–2000 से इस योजना के अन्तर्गत नये आवासों के निर्माण के साथ – साथ अर्द्धनिर्मित /कच्चे आवासें को क्रमोन्नत करने के अलग लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं।
- मकानो का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता हैं। वैकल्पिक तौर पर यह पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से किया जा सकता हैं।
- गैर अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर किए जाने वाला व्यय इन्दिरा आवास योजना के कुल आवंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं आवास निर्माण करा सकता हैं।
- 3 प्रतिशत निधियॉ गरीबी की रेखा के नीचे बसर कर रहे अपंग लोगों के लिए निर्धारित हैं।
- पर्वतीय क्षेत्रों समेत दुर्गम इलाकों में मकान निर्माण की लागत के लिये 22,000/– रूपये तक तथा अन्य क्षेत्रों में 20,000/– रूपये तक सहायता दी जाती थी जिसे बढ़ाकर दिनांक 01.042004 से क्रमश+ 27,500/– रू0 एवं 25,000/– रूपये कर दिया गया हैं।
- इसके साथ–साथ मकानों मे निर्धूम चूल्हे और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था भी की जाती हैं।
- अर्द्धनिर्मित/कच्चे आवासों को क्रमोन्नत करने के लिए प्रति आवास 10,000 रूपये की राशि दी जाती हैं। जिसे बढ़ाकर दिनांक 01.04.2004 से 12,500 रूपये कर दिया गया हैं। इसमें पात्रता, लाभाथ्री का चयन तथा सहायता राशि देने इत्यादि के मान–दण्ड इंदिरा आवास योजनान्तर्गत नये आवास निर्माण के लिये निर्धारित मानदण्डों के समान ही हैं। 12,500 रूपये की राशि में स्वच्छ शौचालय एवं निर्धूम चूल्हे के निर्माण की राशि भी सम्मिलित हैं। इस हेतु जिला परिषद ग्राम पंचायत को पृथक से लक्ष्य आवंटित करती हैं। जिसके अनुरूप ही ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर स्वीकृतियां जारी किये जाने की व्यवस्था हैं।
- पंचायत स्तर पर लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाना अवश्यक हैं। चयन के लिए प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार है :–

1. मुक्त बंधुआ मजदूर
2. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो अत्याचारों से पीड़ित हैं।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जिनकी मुखिया विधवाएँ तथा अविवाहित महिलाऐं हैं।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो बाउत्र, आगजनी, भूकम्प, चक्रवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्य परिवार।
6. युद्ध में मारे गये सुरक्षा सेवाओं के कार्मिक/अर्धसैनिक बलों की विधवाऐं/परिवार।
7. गैर अनुसूचित जाति/जनजाति।
8. सुरक्षा सेवाओं/अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी
9. विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुये व्यक्ति, खानाबदोश, अर्ध खानावदोश तथा निर्दिष्ट आदिवासी, विकलांग सदसयों वाले परिवार और आन्तरिक शारणार्थी, बशर्ते की ये परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हो।

- मकानो का आवंटन :— जिलो को आवंटित इन्दिरा आवास के लक्ष्यों में से प्रत्येक पंचायत को (जिला स्तर पर रिजर्व पूल हेतु निर्धारित लक्ष्यों को छोड़कर) लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं।
- जिले हेतु प्राप्त कुल लक्ष्यों को सामान्यतः समान रूप से आवंटित किया जाता हैं।
- अधिकरों का विकेन्द्रकीकरण किया गया हैं। अब ग्राम पंचायत स्तर से आवास स्वीकृत किये जा सकते हैं।

ग्रामीण आवास हेतु ''ऋण एवं अनुदान योजना''
(सी.सी.एस.)

परिचय

- राष्ट्रीय आवास एवं पुनर्वास नीति 1998 के अनुसार वर्ष 1999–2000 से ग्रामीण आवास हेतु एक नवीन योजना '' ऋण एवं अनुदान योजना'' आरम्भ की गयी हैं। योजना इंन्दिरा आवास योजना की उपयोजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत गरीब ग्रामीणों को जिनकी वार्षिक आय 32,000/— रूपये तक हैं एवं इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें लाभान्वित किया जा रहा हैं। वर्ष 2002–2003 से यह योजना इन्दिरा आवास योजना के एक भाग के रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों जिनके पास आवास निर्माण हेतु पूर्ण राशि उपलब्ध नहीं हैं परन्तु वे ऋण अदायगी कर सकते हैं, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु ऋण/अनुदान उपलब्ध कराकर लाभान्वित करना हैं।

मुख्य बिन्दु

- यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। जिसमें अधिकतम 10,000/— रूपये का अनुदान (7500/— रूपये केन्द्र सरकार व 2500/— रूपये राज्य सरकार द्वारा) दिये जाता हैं।
- लाभार्थी को 40,000/— रूपये तक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में राशि उपलब्ध करवायी जाती हैं जिसकी अदायगी लाभार्थी द्वारा किश्तों के रूप में की जाती हैं।
- इस योजना के अन्तर्गत आवासों मे निर्धूम चूल्हे एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था भी की जाती हैं।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)
(पी.एम.जी.वाई.)

परिचय

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 14200 से एक नवीन योजना ''प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना'' प्रारम्भ की गई हैं, जिसके कुल 6 सेक्टर ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पोषाहार हैं। इसमें ग्रामीण आवास सेक्टर इस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इंन्दिरा आवास योजना के अनुरूप ही क्रियान्वित की जा रही हैं। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूर वर्ग के परिवारों एवं गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती हैं। योजना के अन्तर्गत कुल आवंटन का कम से कम 60 प्रतिशत व्यय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों पर किया जाता हैं।

उद्‌देश्य

- योजना का मुख्य उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये आवास की कमी को कम करना तथा क्षेत्रों में स्वस्थ पर्यावरण में मदद करना हैं।

मुख्य विन्दु

- यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में एवं 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप मं राज्य को उपलब्ध कराई जाती हैं।
- योजना का क्रियान्वयन सामान्यतः इन्दिरा आवास योजना के पैटर्न पर किया जाता हैं।
- योजना के तहत मकानो के निर्माण के साथ–साथ गंवाई खरन्जे, नालियां, ग्रामीण पेयजल, वृक्षारोपण, बस्ती सुधार कार्यक्रम आदि पर कुल प्रावधन का 10 प्रतिशत तक व्यय किया जा सकता हैं।

ग्रामीण आवास और पर्यावाास विकास के लिये अभिनव कार्यक्रम
(आर.एच.एच.डी.)

परिचय

- वर्ष 1999–2000 से ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास से सम्बन्धित विशेष व अभिनव परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण आवास संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा अलग निकालकर रखा गया हैं। कत लागत वाली पर्यावरण अनुकूल आवास/भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्री का मानकीकरण करना, उन्हें और लोकप्रिय प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम ग्रामीण मानव बस्तियों के लिये आदर्श श्रेणियां विकसित करना इस योजना का मूल आधार हैं।

उदृदेश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्रियों को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा देना/प्रचारित करना हैं। चूंकि आवास निर्माण अब केवल चारदिवारी और छत बनाने तक ही सीमित नही रह गया हैं बल्कि अब इसमें उपयुक्त स्थाई पर्यावासों का विकास सभी शामिल हो गया हैं। कार्यक्रम के माध्यम से बेहतर पर्यावास विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्य बिन्दु

- कार्यक्रम के तहत परियोजना सम्बन्धी सहायत के लिये मान्यता प्राप्त शैक्षिक/तकनीकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संवर्धन और प्रयोग का अनुभव रखने वाले निगमित निकाय और स्वायत्त सोसायटियां, राज्य सरकारों तथा विकास संस्थान और ग्रामीण आवास निर्माण तथा पर्यावास आदि के क्षेत्र में प्रसिद्ध, अनुभवी तथा विश्वसनीय गैर सरकारी संगठन आवेदन कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत की जने वाली परियोजनाओं पर मंजूरी देने के लिये एक केन्द्रीय स्तर की जॉच समिति द्वारा विचार किया जायेगा जिसके अध्यक्ष सचिव, ग्रामीण विकास होंगे।
- परियोजना में विशेष रूप से आश्रय एवं पर्यावास विकास तथा आधारभूत स्तर पर अन्तर्विभागीय अनतर्शाखीय क्रियान्वयन सुविधाओं के समेकन के अभनव तत्व शामिल होने चाहिये।
- परियोजना ऐसी होनी चाहिये कि प्रायोगिक अवस्था के पूर्ण होने के बाद इसे कई जगहों पर क्रियान्वित किया जा सकें।
- दूरस्थ, दूर्गम, आपदा प्रभावित और सामाजिक तथा आर्थिक संरचना की दृष्टि से अत्यन्त पिछडे इलाकों से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
- परियोजना दस्तावेज में स्पष्ट रूप से प्रबधकीय ढ़ाँचे, निगरानी व्यवस्था और क्रियान्वयन दायित्वों का उल्लेख होना चाहिये।
- गैर सरकारी संगठन को अधिकतम 20 लाख रूपये का अनुदान दिया जा सकता हैं। प्रसिद्ध शैक्षणिक/तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों तथा जिला परिषद सहित सरकारी संस्थाओं को अधिकतम 50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा सकता हैं।
- परियोजना की कुल अवधि सामान्य परिस्थितियों में 2 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।
- परियोजना में पद (पदों) क आवर्ती खर्च या रख–रखाव खच्र की अनुमति नहीं दी जाती लेकिन परियोजना दस्तावेज में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि इस खर्च को कैसे या कहां से पूरा किया जायेगा।
- परियोजना में ही छीजती वनस्पति (बायोमास), आवास गुणवत्ता, बिगड़ते पर्यावास आदि जैसी विशिष्ठ समस्याओं से निपटने के लिये स्थानीय स्थिति और संसाधनों के सम्पूग्र आंकलन पर आधारित सुविचारित नीति का उल्लेख आवश्यक हैं।
- परियोजना दस्तावेज में संभावित लाभार्थियों, लागत–लाभ विवरण, बहुगुणन संभावनाओं, भौतिक परिसम्पत्तियों व वित्तीय विकास के रूप में संभावित परिणामों,

अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ संपर्क, संस्थागत सहयोग आदि का विवरण भी होना चाहिये।

- परियोजना जॉच समिति द्वारा स्वीकृति के बाद संस्था को राशि तीन किश्तो (प्रथम किश्त 10ः दूसरी किश्त 40ः एवं तीसरी किश्त 20ः) में जारी की जावेगी। दूसरी और तीसरी किश्त के जारी करने की मॉग से पहले संस्था को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नवीनतम लेखा परीक्षण रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण–पत्र और प्रगति रिपोर्ट भरकर देनी होगी। परियोजना के आंकलन के बाद ही संस्था के काग्र को संतोषजनक नही पाया गया तो अन्तिम किश्त जारी नही की जायेगी। इसके अलावा राशि के गलत उपयोग या उपयोग न कर पाने की स्थिति में संगठन को सारी बची हुई राशि को ब्याज सहित एक मुश्त वापस करना होगा।

मरू विकास कार्यक्रम
(डी.डी.पी.)

परिचय

- मरू विकास कार्यक्रम मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने, प्रभावित क्षेत्रो में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और इन क्षेत्रों मे भूमि की उत्पादकता और जल संसाधनों में वृद्धि करने के उद्धेश्य से समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में 1977–78 से शुरू किया गया था। शनैःशनैः इस कार्यक्रम में अनेक परिवर्तन किये गये तथा वर्ष 1995–96 से यह कार्यक्रम जल ग्रहण विकास दृष्टिकोण के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्‌देश्य

- प्रकातिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा ग्राम समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जिससे पारिस्थितिक निम्नीकरण और मरूस्थलीकरण को रोका जा सके और पारिस्थितिक संतुलनन को बनाए रखने को बढ़ावा मिले। संसाधनों के समान वितरण के माध्यम से साधनहीन और उपेक्षित वर्गो की स्थिति में सुधर लाने पर विशेष बल दिया जाता हैं।

मुख्य विन्दु

- प्रो.सी.एच. हनुमन्था राव की अध्यक्षता में तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मरू विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की नीति को 1.4.1995 से पुनर्गठित किया गया हैं।
- यह कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों यथा (अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, सिरोही, उदयपुर) के 85 विकास खण्डों में लागू है जिनका विवरण परिशिष्ठ–10 पर उपलब्ध हैं।
- एक जलग्रहण परियोजना में लगभग 500 हैक्टेयर भूमि पर जलग्रहण विकास दृष्टिकोण के आधार पर विकासीय कार्य किये जा रहें हैं। जिसमें हर श्रेणी की भूमि शामिल होती है। अर्थात एक जलग्रहण परियोजना लगभग 500 हैक्टेया की होती हैं। परियोजना को 5 वर्षीय परियोजना काल में पूर्ण किया जाना होता है।

- कार्यक्रम के तहत दिनांक 01.04.2003 से पूर्ण स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यो के निष्पादन हेतु 80 प्रतिशत राशि व्यय के किये जाने का प्रावधान हैं तथा 01.04.2003 से स्वीकृत परियोजनाओं मे से यह राशि 85 प्रतिशत निर्धारित कर दी गई हैं।
- दिनांक 01.04.2003 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिये लागत मापदण्ड 5000.00 रूपये प्रति हैक्टेयर था, लेकिन दिनांक 01.04.2000 एवं इसके पश्चात स्वीकृत परियोजनाओ पर लागत मापदण्ड 6000/– रूपये प्रति हैक्टेयर किया गया हैं।
- जिला परिषद द्वारा गॉवों / जलग्रहण परियोजनओं का चयन करने के साथ–साथ जलग्रहण विकास परियोजनाअें के क्रियान्वयन के लिए परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सियों का भी चयन किया जाता है।
- जहां पर एक जलग्रहण का क्षेत्र एक ग्राम पंचायत के तहत आने वाले क्षेत्र के बराबर हो अथवा इसका क्षेत्र एक ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर आता हो तो सम्बन्धित पंचायत की ग्राम सभा को जलग्रहण संघ के रूप में नामजद किया जाता हैं, जिसमें ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति सदस्य होते हैं। जलग्रहण परियोजनाओं के दिन प्रतिदिन के कार्य जलग्रहण समिति द्वारा बहुआयामी जलग्रहण विकास दल की सहायता से किये जातहै। एवं यह कार्य सम्पूर्ण रूप से जलग्रहण संघ के निरीक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए किये जाते हैं।
- जल ग्रहण कार्यक्रम में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका सुनिष्यित किये जाने के उद्देश्य से पंचायतो को जलग्रहण परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेन्सी बनाने में प्राथमिकता दी जाती है।
- जलग्रहण परियोजनओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जलग्रहाण समिति /ग्राम पंचायत को रिलीज की जाती है। जलग्रहण परियोजना कार्य पूण्र होने के पश्चात बहिर्गमन व्यवस्था के अधीन ग्राम पंचायत को परियोजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को सम्भलवाने की व्यवस्था है।
- 1–4–99 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनओं हेतु 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देय हैं किन्तु इसमें पूर्व की स्वीकृति परियोजनाओं के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध रहेगी।

मरू प्रसार रोक (कॉम्बेटिंग)

- भारत सरकार द्वारा मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 मे मरू प्रसार रोक पर एक विशेष परियोजना स्वीकृत की गई हैं। यह विशेष परियोजना राज्य के 10 मरूस्थलीय जिलों यथा बाड़मेर,बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनू, नागोर, पाली एवं सीकर में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत मुख्यतया टिब्बा स्थरीकरण, शेल्टरबेल्ट प्लान्टेशन एवं वनारोपण के कार्य करवाये जा रहे हैं। परियोजना की क्रियान्विति राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा की जा रही हैं।
- भारत सरकार द्वारा इस विशेष परियोजना को पंचम चरण (नवम् बैच) हेतु भी स्वीकृति दी गई हैं।

हरियाली मार्गदर्शिका

दिनांक 01.04.2003 से योजनान्तर्गत हरियाली मार्गदर्शिका जलग्रहण विकास के लिये प्रभावी हैं। जिसमें पूर्व मार्गदर्शिका में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रमुख परिवर्तन किये गये हैं :–

- कार्य मद में 80 प्रतिशत के स्थान पर 85 प्रतिशत प्रावधान।
- प्रशिक्षण एवं सामुदायिक संगठन मद में 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत का प्रावधान।
- प्रशासनिक मद के लिये निर्धारित 10 प्रतिशत में सो अवशेष राशि का उपयोग कार्य तथा प्रशिक्षण के लिये किये जाने का प्रावधान किन्तु मद तथा प्रशिक्षण मद के लिये निर्धारित सीमा राशि में से अवशेष राशि का उपयोग प्रशासनिक मद के लिये अमान्य।
- पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विशेष प्राथमिकता के आधार पर जलग्रहण विकास के लिये सुनिश्चित।
- कार्य निष्पादन केवल सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाये जाने का प्रावधान।
- सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

(डी.पी.ए.पी)

परिचय

- सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य में 1974–75 से आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि, जल, पशुधन, मानव संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं उन्हें बनाये रखकर भौगोलिक संतुलन रखने के उपाय किये गयें। शनैःशनैः आवश्यकतानुसार इस कार्यक्रम में अनेक परिवर्तन किये गये तथा वर्ष 1995–96 से यह कार्यक्रम जल ग्रहण विकास आधारित दृष्टिकोण के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्‌देश्य

- कार्यक्रम का प्रमुख उद्वेश्य सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखना है।

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 1995–96 से कार्यक्रम का संचालन प्रो. हनुमन्था राव कमेटी की सिफारिशों के अनुसार जल ग्रहण विकास दृष्टिकोण को आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, झालाबाड़, कोटा, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, करोली एवं भरतपुर के 32 विकास खण्डों में लागू हैं। इन विकास खण्डों को विवरण परिशिष्ठ – 11 वा उपलब्ध हैं।
- लगभग 500 हैक्टेयन की चिन्हित परियोजना को 5 वर्षीय परियोजना काल में पूर्ण किया जाना होता हैं।
- दिनांक 01.04.1999 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देय है, किन्तु इससे पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिये 50 प्रतिशत सहायता ही देय हैं।

- दिनांक 01.04.2000 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिये लागत मापदण्ड 4000/– रूपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन दिनांक 01.04.2000 एवं इसके पश्चात स्वीकृत परियोजनाओं पर लागत मापदण्ड 6000/– रूपये प्रति हैक्टेयर किया गया है।
- जिला परिषद द्वारा गॉवों /जलग्रहण परियोजनाओं का चयन करने के साथ– साथ जलग्रहण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सियों का भी चयन किया जाता है।
- जहॉ पर एक जलग्रहण का क्षेत्र एक ग्राम पंचायत के तहत आने वाले क्षेत्र के बराबर हो अथवा इसका क्षेत्र एक ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर आता हो तो सम्बन्धित पंचायत की ग्राम सभी को जलग्रहण संध के रूप मे नामजद किया जायेगा, जिसमें ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति सदस्य होते है। जलग्रहण परियोजनाओं के दिन प्रतिदिन के कार्य जलग्रहण समिति द्वारा बहुआयामी जलग्रहण विकास दल की सहायता से किये जाते है। एवं यह कार्य सम्पूर्ण रूप से जलग्रहण संघ के निरीक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहते हुये किये जाते हैं।
- जल ग्रहण कार्यक्रम मे ंपंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से पंचायतों को जलग्रहण परियोजनों की क्रियान्वयन एजेन्सी बनाने में प्राथमिकता दी जाती है।
- जल ग्रहण परियोजनाओं के लिये राशि जलग्रहण समिति/ग्राम पंचायत को रिलीज की जाती है। जलग्रहण परियोजना कार्य पूर्ण होने के पश्चात् बहिर्गमन व्यवस्था के अधीन ग्राम पंचायत को परियोजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को सम्भलवाने की व्यवस्था है।

हरियाली मार्गदर्शिका

दिनांक 01.04.2003 से योजनान्तर्गत हरियाली मार्गदर्शिका जलग्रहण विकास के लिये प्रभावी हैं। जिसमें पूर्व मार्गदर्शिका में संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रमुख परिर्वतन किये गये हैं :–

- कार्य मद में 80 प्रतिशत के स्थान पर 85 प्रतिशत प्रावधान।
- प्रशिक्षण एवं सामुदायिक संगठन मद में 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत प्रावधान।
- प्रशासनिक मद के लिये निर्धारित 10 प्रतिशत में से अवशेष राशि का उपयोग कार्य तथा प्रशिक्षण के लिये किये जाने काक प्रावधान किन्तु कार्य मद तथा प्रशिक्षण मद के लिये निर्धारित सीमा राशि में से अवशेष राशि का उपयोग प्रशासनिक मद के लिये अमान्य।
- पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विशेष प्राथमिकता के आधार पर जलग्रहण विकास के लिये सुनिश्चित।
- कार्य निष्पादन केवल सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाये जाने का प्रावधान।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
(आई.डबल्यू.डी.पी.)

परिचय

राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्र 342 लाख हैक्टेयर है तथा लगभग 200 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि हैं। इस तरह राजस्थान देश का दूसरा बड़ा राज्य हैं, जहां 58 प्रतिशत भूमि बंजर है। इस योजना की कियान्विति वर्ष 1992 से प्रारम्भ हुई थी। दिसम्बर, 1999 तक यह योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी। इसके उपरान्त इस योजना का संचालन सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा किया गया था। वर्ष 2003'04 से यह योजना पुनः ग्रामीण विकास विभाब द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

उद्‌देश्य

इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य गैर वन क्षेत्र (नॉन फोरेस्ट एरिया) में जलाने के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी, चारा एवं घास पैदा करना हैं जिससे स्थानीय निवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके एवं वन क्षेत्र पर दबाव कम करने के साथ–साथ पर्यावरण को संतुलित किया जा सके तथा बंजर भूमि को उपचारित कर भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। भारत सरकार के नए दृष्टिकोण के अनुसार अब इस योजना की परियोजनाएं जलग्रहण विकास दृष्टिकोण के अनुसार क्रियान्वित करयी जा रही है।

मुख्य बिन्दु

- योजना का क्रियान्वयन जलग्रहण विकास दृष्टिकोण के आधार पर किया जा रहा है।
- एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम के अन्तर्गत 31.03.1999 तक स्वीकृत परियोजनाओं पर श–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध रही एवं 01.04.2000 से स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में 11:1 की दर से क्रमशः केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जा रही हैं। अर्थात् निर्धारित लागत इकाई 6000/– रूपये प्रति हैक्टेयर में से 5500/– रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 500/– रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। वर्तमान में एक परियोजना में लगभग 5000 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जाता हैं।
- मरू गोचर योजना
- परिचय
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003–2004 के बजट में की गई घोषणा के अन्तर्गत इस योजना का शुभारम्भ राज्य के 10 मरू जिलों यथा बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जालौर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, पाली, नागौर एवं सीकर में किया गया हैं। इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 वित्तीय अनुपात में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से ओरण एवं गोचर भूमि का विकास, चारागाहों की पुनस्थापना, नर्सरी विकास आदि के कार्य कराये जायेंगे।
- उद्‌देश्य
- चयनित 10 जिलों में ओरण एवं गोचर भूमि का विकास करना।
- चारागाहों की पुनस्थापना करना।
- परम्परागत ओरणों का पुनरूद्धार कर अकाल की स्थिति से निपटना।
- मुख्य बिन्दु

- योजनार्न्गत लाभ उठाने वाले गांवों या क्षेत्रों के चयन में निम्नाकित बिन्दु ध्यान में रखे जाते हैं।
    1. क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त हो।
    2. ग्रामवासी ओरण/गोचन को विकसित करने हेतु इच्छुक हो।
    3. ग्रामवासी श्रमदान, चराईबन्दी तथा कुल्हाडीबन्दी के रूप में स्वैच्छिक सहायोग प्रादन करने हेतु संकल्पित हो।
- चयनित ओरण/गोचन को निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभक्त कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये है :–

    1. ऐसे क्षेत्र जहां पशुओं का दबाव कम हैं तथा स्थानीय निवासी क्षेत्र की सुरक्षा (Social Fencing) हेतु तैयार हैं, वहां गोचर/ओरण क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर वानस्पतिक बाड़ की जाये और मृदा कार्य कर मात्र घास बिजाई (6 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर) सीधी अथवा गोलियों (Palletization) से की जाये।
    2. ऐसे क्षेत्र जिनको बन्द करने (खाईबन्दी/पत्थर की दीवार) की आवश्यकता हो, वहां उक्तानुसार घास बिजाई के अतिरिक्त चारा देने वाले 100 वृक्ष प्रति हैक्टेयर का रोपण किया जाये।
- योजना के कार्य 5 वर्ष में पूर्ण करवाये जाने हैं। योजना की क्रियान्विति में पंचायती राज संस्थाओं, राजकीय विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, डेयरी, केन्द्रीय शुल्क अनुसंधान संस्थान (काजरी), शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) जोधपुर, केन्द्रीय रूक्ष उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर तथा राजस्थान राज्य दूरसंवेदी अनुप्रयोग केन्द्र, जोधपुर का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- योजना के उचित नियोजन, क्रियान्वयन तथा प्रबोधन (Monitoring) हेतु भारत सरकार ने श्री कमल मोरारका की अध्यक्षता में एक कार्यबल (Task Force) गठित किया हैं। इस कार्यबल में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार भी सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(एम.पी.एल.ए.डी.)

परिचय

सांसद क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लोकसभा व राज्यसभा सदस्य की अभिशंष पर उनके क्षेत्र में आवश्यकता के आधार पर विकासात्मक प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण कराने का प्रावधान हैं । यह योजना वर्ष 1993–94 में प्रारम्भ की गई है। जिसमें प्रत्येक सांसद/राज्य सभा सदस्य के लिये 1.00 करोड़ रूपये निर्धारित थे। जिसे बढ़ाकर वर्ष 1998–99 से भारत सरकार द्वारा 2.00 करोड़ रूपये किया गया है।

उद्देश्य

प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र की आवश्यकतानुसार आधरभूत सुविधाओं का विकास कार्य करवा सकते हैं।

मुख्य बिन्दु

- इस योजना हेतु सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है।

- कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव सांसद द्वारा कलेक्टर एवं कार्यपालक निदेशक को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात् इन कार्यो की कार्यक्रम के दिशा–निद्रेशानुसार जांच कर कार्य करवाये जाते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(बी.ए.डी.पी.)

परिचय

- देश की करीब 1040 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों के 13 विकास खण्डों शिव, बाड़मेर, चौहटन, धोरीमन्ना जैसलमेर, सम, बीकानेर, कोलायत, करणपुर, गंगानगर, पदमपुर, रायसिंहनगर व अनूपगढ़ में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मोडीफाईड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 से लागू किया गया । इस कार्यक्रम के लिये शत–प्रतिशत सहायता राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

मुख्य बिन्दु

- यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है।
- भारत सरकार द्वारा राज्य को राशि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाइ, विकास खण्ड की जनसंख्या एवं विकास खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित की जाती हैं।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड विशेष इकाई होता है एवं समस्त कार्य विकास खण्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पादित किये जाते है।
- राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कुल प्राप्त होने वाली राशि में से 30–30 प्रतिशत राशि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों को, 25 प्रतिशत राशि बीकानेर जिले को एवं 15 प्रतिशत राशि गंगानगर जिले को आवंटित की जाती है।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा किया जात है।
- योजना में सामाजिक सैक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं सम्बन्धित कार्यो पर बल दिया जाता है।
- सुरक्षा सम्बन्धी कार्य भी कराये जा सकते है। लेकिन आवंटन का 7.50 प्रतिशत ही इस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है।
- पीने का पानी, एप्रोच रोड, प्रशासनिक भवन, सड़क एवं पुलिया इत्यादि समस्त मूलभूत अवसंरचना के कार्यों पर 60 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नही की जा सकती है। वार्षिक आवंटन की 15 प्रतिशत राशि रखरखाव पर व्यय की जा सकती है।
- कार्यो का सम्पादन राज्य /केन्द्रीय/पैरा मिलिट्री संस्थाये/ पंचायती राज संस्थाएं/जिला कौन्सिल/ स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है।

बायोगैस कार्यक्रम

परिचय

- देश में निरन्तर बढ़ती हुई परम्परागत ऊज्रा की कमी को पूरा किए जाने तथा परम्परागत ऊर्जा का उपयोग देश के आर्थिक विकास के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र में लिए जाने के उद्धेश्य से गैर पारम्परिक ऊर्जा एवं पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्त्रोतों का विकास किया जा रहा है। इस उद्धेश्य की पूर्ति के लिए राज्य में वर्ष 1981–82 से बायोगैस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक अंग है।

उद्‌देश्य

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा का स्त्रोत उपलब्ध कराया जाता है। ताकि ईधन के रूप में जलावन लकड़ी पर निर्भरता कम हो सके साथ ही वनों का ह्रास कम हो तथा प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकें।

मुख्य बिन्दु

- बायोगैस संयन्त्र के लाभान्वितों को केन्द्रीय अनुदान दिया जाता हैं। जिसमें निम्नानुसार अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
    1. सभी प्रकार के बायोगैस संयन्त्र व सभी श्रेणी के लाभान्वितों को रूपये 1000 प्रति संयन्त्र अनुदान।
    2. लोहे के ड्रम टाईप के बायोगैस संयन्त्र पर रू 1000 प्रति संयन्त्र अतिरिक्त अनुदान।
    3. अ एवं ब के अतिरिक्त अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर व झालावाड़ जिले में सृजित वन्य क्षेत्र में बायोगैस संयन्त्र स्थापना पर 1500 रूपये प्रति संयन्त्र अतिरिक्त अनुदान।
- वर्ष 1994–95 से बन्द बायोगैस संयत्रों के लाभान्वितों को प्रेरित कर पुनः चालू करने तथा निरन्तर तीन वर्ष तक चालू रखने की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को रू 250 प्रति संयन्त्र प्रोत्साहन राशि तथा संयत्रों की मरम्मत के लिए 500/– रू प्रति संयन्त्रं
- बायोगैस कार्यक्रम के प्रचार – प्रसार, बायोगैस संयन्त्र के निर्माण एवं रख रखाव के प्रतिक्षण, कार्यक्रम के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता प्रतिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।
- नये सयंत्र निर्माण हेतु केन्द्रीय अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि (प्रति संयत्र)
    1. अनु. जाति/अनु.जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र, छोटे एवं सीमान्त कृषक, भूमिहीन मजदूर – रू. 2300.00
    2. अन्य सभी – रू. 1800.00
    3. यदि संयंत्र के साथ घर का शौचालय जोड़ा जाता हैं तो उस पर 500/– रूपये प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान।
- राज्य में लगातार पड़ने वाले अकाल के कारण पानी की कमी, पशुओं का पलायन, बायोगैस संयन्त्र बन्द होने के मुख्य कारण हैं । अतः इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रख बायोगैस संयन्त्र के लाभार्थियों के चयन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए है। इस आशय से यह सुझाव दिया गया हैं कि ऐसे लाभार्थियों का चयन किया जावे जो विषम परिस्थितियों में भी संयन्त्र चाले रख सके एवं जिनके पास गोबर व पानी की उपलब्धता निश्यित रूप से हमेशा रहे।

- वर्ष 1992–93 से कार्यक्रम का क्रियान्वयन सघन क्षेत्र पद्धति से किया जा रहा है। जिन जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापना की संभावना हैं, उन्हीं जिलों को लक्ष्य दिये जा रहे।
- डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना
- परिचय
- डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना भारत द्वारा दिनांक 01.04.1999 से प्रारम्भ की गई हैं। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यालय तथा जिलों में स्थित जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के संस्थापन व्यय को वहन किया जाता है।
- मुख्य बिन्दु
- डी आर डी ए प्रशासन योजना के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष अनुज्ञेय राशि में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सा राशि 75:25 होगी।
- राज्य मुख्यालय के प्रशासनिक व्यय हेतु कुल अनुज्ञेय राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि उपयोग में ली जा सकेगी।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य मुख्यालय का प्रशासनिक व्यय उक्त राशि से अधिक होने पर अधिक व्यय राशि शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी।
- योजना के दिशा निर्देशानुसार राज्य में स्थित जिलों को ब्लॉक की संख्या के आधार पर निम्नांकित चार श्रेणियों मे विभक्त किया गया है, जिसके आधार पर ही अनुज्ञेय राशि की गणना की जाती है।

श्रेणी	ब्लॉक संख्या	अनुज्ञेय राशि(वर्ष 1999–2000 के लिये)
ए	5 ब्लॉक तक	रूपये 46.00 लाख
बी	6 से 10 ब्लॉक तक	रूपये 57.00 लाख
सी	11 से 15 ब्लॉक तक	रूपये 65.00 लाख
डी	16 एवं अधिक ब्लॉक	रूपये 67.00 लाख

- राज्य में ए, बी एवं सी श्रेणी के क्रमशः 11, 15 एवं 6 जिले हैं व डी श्रेणी में कोई जिला नहीं हैं। उक्त राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि अनुज्ञेय है। डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना ग्रामीण विकास की योजना नहीं है। योजनानतर्गत केवल मात्र राज्य मुख्यालय एवं जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के प्रशासनिक/संस्थापन व्यय को ही वहन किया जाता है।
- राज्य प्रवर्तित योजनायें।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- (एम.एल.ए.एल.डी.)
- परिचय
- राजस्थान राज्य में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय विधायक गण की अभिशंसा पर जनोपयोगी कार्यो का निर्माण कराने हेतु वर्ष 1999–2000 में ''विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' के नाम से एक नवीन योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक महोदय अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार वर्ष 1999–2000 में 25.

00 लाख रूपये की लागत के काय्र स्वीकृत कराने के लिये अभिशंसित करने के लिये अधिकृत थें परन्तु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 के लिये प्रत्येक विधायक को 10.00 लाख रूपये एवं वर्ष 2001–2002 से प्रति विधायक 60.00 लाख रूपये की लागत के कार्य स्वीकृत कराने हेतु अभिशंसित करने के लिये अधिकृत किया गया हैं।

- उद्देश्य
- स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण कराना है।
- क्षेत्रीय कवकास में असंतुलन को दूर करना।
- स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना ।
- मुख्य बिन्दु
- शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना।
- राज्य के ग्रामीण /शहरी क्षेत्र में लागू है।
- निर्माण काय्र पंचायती राज/स्वायत्तशासी निकाय/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग एवं विशेष विधि के तहत गठित निगम, बोर्ड आदि द्वारा कराये जाते हैं।
- वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत राशि के प्रस्ताव पूर्व निर्मित सामुदायिक उपयोग की परिसम्पत्तियों के मरम्मत कराने हेतु प्रस्तावित किये जा सकते हैं।
- योजनान्तर्गत निर्मित करायी जाने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित लाभार्थी संस्था की होगी।
- योजना के तहत विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यो के प्राप्त होने की दिनांक से यथा संभव 45 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।
- स्वैच्छिक संस्थाओं /ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के द्वारा कार्य क्रियान्वयन पर संस्था द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत राशि की भागीदारी देनी आवश्यक है।
- योजनान्तर्गत कराए जाने वाले कार्य
- जिला स्तर के राजकीय हास्पिटल भवन/विस्तार एवं इनके लिये चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स राजकीय कालेज भवन/विस्तार, विश्वविद्यालय भवन/विस्तार एवं इनके लिये शिक्षण कार्य हेतु कम्प्यूटर, जिले को कनेक्ट करने वाली मुख्य सड़कें जिनसें जिले के समुचित क्षेत्र की जनता लाभान्वित होती हैं एवं जिला स्तरीय कार्यालय भवन /विस्तार के निर्माण हेतु जिले के कोई भी विधायक इस योजना के तहत अपने कोटे की राशि से काय्र कराने हेतु प्रस्ताव दे सकते हैं, बशर्ते कि स्थानीय विधायक की सहमति/भागीदारी हों।

राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग में लिये जाने वाले निम्न प्रकृति पंचायतीराज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राजकीय स्वामित्व के निर्माण कार्य निष्पादित कराये जा सकेंगें।

1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग दर्शिकाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले सामुदायिक उपयोग के कार्यं
2. पेयजल के कार्यं।

3. किसी ग्राम/नगर की आबादी सीमा में सड़क(ग्रेवल/मेटल/डामर/सीमेन्ट)/खंरजा एवं नाली निर्माण
4. शहरी क्षेत्र में सिवरेज का कार्य।
5. (अ) चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन

   (अ) चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन

   (ब) शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन/कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर अध्ययन–अध्यापन सामग्री/स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी।

   (स) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये भवन बशर्तें वे शिक्षण संस्थाये कम से कम दो वर्ष से अस्तित्व में हो।

   (द) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर
6. ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम./डामर/सीमेन्ट के कार्य।
7. ग्राम/शहर में तालाबों की सफाई/ डिसिल्टिंग का कार्य।
8. पारम्परिक जलस्त्रोतो के विकास के कार्य।
9. गांवों में सम्पर्क सड़क/रास्ते के लिये पुलिया/रपट का कार्य।
10. पर्यटन स्थलों के लियए आधारभूत सुविधाओं का कार्य।
11. पशुधन के लिये पीने के पानी की सुविधा विकसित करने का कार्य।
12. पशु स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य।
13. (अ) चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स।

    (ब) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते दवाखानों की व्यवस्था।

    (स) रेड क्रास/राम कृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिये एम्बूलेन्स।
14. श्मशान/कब्रिस्तान/आदि का चार दीवारी एवं सुविधाओं विकसित करने के कार्य।
15. पुस्ताकलय भवन/बस स्टेण्ड/धर्मशाला/विश्रामगृह/स्टेडियम/वाल्मिकी भवन/सामुदायिक भवन।
16. विद्युतीकरण।
17. सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के भवन निर्माण के मरम्मत कार्य।
18. चारदीवारी निर्माण।
19. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स।
20. जनोपयोगी कार्य।
21. अन्य योजना में स्वीकृत किन्तु राशि के अभाव में अपूर्ण कार्य।
22. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन/कम्प्यूटर।
23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना।

24. राजस्थान सरकार के स्वीकृत अदालत भवन/कार्यालय भवन/पंचायत राज संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य।
25. इलेक्ट्रोनिक्स परियोजनायें :–
    (अ) सूचना फुटपाथ (ब) माध्यमिक विधालयों में हैम क्लब
    (स) सिटीजन बैण्ड रेडियो (द) ग्रंथ सूची–डाटा बेस परियोजनायें
26. स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिस्पोजल सिस्टम।
27. जयपुर मुख्यालय पर सूचना केंन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र का निर्माण।
28. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित कालेज विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकट्ठी राशि की व्यवस्था की जानी है। परन्तु इसमं यदि कोई कमी हो तो विद्यायल स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद की राशि भी उपयोग में जी जा सकेगी।
29. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विधमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने के लिये सम्बन्धित विद्यालय विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिये आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकट्ठी राशि की व्यवस्था की जाती है । परन्तु इसमं यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद की राशि भी उपयोग में ली जा सकेगी।
30. जयपुर मुख्यालय पर हज हाऊस का निर्माण।

मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

परिचय

- अलवर एवं भरतपुर जिले का मेवात क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के विकास हेतु अलवर जिले की 8 (लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुण्डावर, किशनगढ़, कोटकासिम, कठूमर एवं उमरैन) एवं भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियों(नगर, डीग, कामां) में यह कार्यक्रम वर्ष 1987–88 से क्रियान्वित किया जा रहा हैं।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विकास को गति देना तथा इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना हैं। इस योजनान्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, सड़क निर्माण, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई आदि से सम्बन्धित कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्य बिन्दु

- शत–प्रतिशत राज्य सरकार के सहयोग से संचालित।
- चयनित पंचायत समितियों के ऐसे ग्राम जिनमें कम से कम 10 प्रतिशत या इससे अधिक मेव परिवार रह रहे हैं। उन ग्रामों में आधरभूत सुविधाएं एवं सामाजिक विकास के कार्य करवाना है।

- क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर मेवात बोर्ड की सहमति की प्रत्याशा में कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।
- जिला स्तर पर इस योजना के संचालन हेतु जिला परिषद को नोडल संस्था बनाया गया हैं।